प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 जून, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश्वरी प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ राजपूत, निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-14172/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/आ0प्रस्त0/2023, दिनांक 28.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश्वरी प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ राजपूत, छैः थोक कस्बा, थाना-मुस्करा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। नाजायज सम्बन्ध की रंजिश को लेकर दिनांक 04.10.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-103/2006, 104/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 ए एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), हमीरपुर के आदेश दिनांक 31.01.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2022 तक 16 वर्ष, 04 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 08 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी को समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने, बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन किया गया है, जिससे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स बी में बन्दी के रिहा होने पर पुनः अपराध कारित कर सकता है, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि नाजायज सम्बन्ध की रंजिश को लेकर दिनांक 04.10.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी महेश्वरी प्रसाद पुत्र विश्वनाथ राजपूत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश्वरी प्रसाद (बंदी संख्या-341/2021) पुत्र श्री विश्वनाथ राजपूत, निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-637/2025/1238(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-637/2025/1238/22-2-2023-17(1665)/2022

दिनांक 26 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश्वरी प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ राजपूत, छैः थोक कस्बा, थाना-मुस्करा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। नाजायज सम्बन्ध की रंजिश को लेकर दिनांक 04.10.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-103/2006, 104/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 ए एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), हमीरपुर के आदेश दिनांक 31.01.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2022 तक 16 वर्ष, 04 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 08 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी को समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने, बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन किया गया है, जिससे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स बी में बन्दी के रिहा होने पर पुनः अपराध कारित कर सकता है, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि नाजायज सम्बन्ध की रंजिश को लेकर दिनांक 04.10.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी महेश्वरी प्रसाद पुत्र विश्वनाथ राजपूत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।